कार्यालय – आशीष परसाई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर (म0प्र0)

कमांक–475/2023 **शाजापुर, दिनांक–27.07.2023**

:: संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन वर्ष 2023 ::

मैं आशीष परसाई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर दंड प्रकिया संहिता की धारा 14(1),15(2) के अंतर्गत वैष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस वर्ष हेतु जारी कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2023 में निम्नानुसार संशोधन करता हूँ जो तत्काल से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा –

1– आरक्षी केन्द्र आगर, कानड, बडौद, महिला डेक्स (तहसील आगर से संबंधित क्षेत्र) के अंतर्गत सभी महिलाओं के विरूद्ध हुए ऐसे अपराध जिसमें फरियादी केवल महिला ही हो सकती है, संबंधित सभी आरपराधिक मामले एवं घरेलू हिंसा व भरण पोषण से संबंधित आज दिनांक 27.07.23 के पश्चात् से प्रस्तुत मामलों का विचारण, श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. आगर के द्वारा किया जावेगा।

2– आगर मुख्यालय के उक्त आरक्षी केन्द्रों के उपरोक्त अपराधों से संबंधित धारा 164 द.प्र.सं. के कथन एवं संस्वीकृतियॉ, सुश्री श्वेता चौहान जे.एम.एफ.सी. आगर के द्वारा लिये जावेगें।

3– आरक्षी केन्द्र सुसनेर, सोयत, महिला डेक्स (तहसील सुसनेर से संबंधित क्षेत्र) के अंतर्गत सभी महिलाओं के विरूद्ध हुए ऐसे अपराध जिसमें फरियादी केवल महिला ही हो सकती है, संबंधित सभी आपराधिक मामले एवं घरेलू हिंसा व भरण–पोषण से संबंधित मामले, आज दिनांक 27.07.23 के पश्चात् से प्रस्तुत मामलों का विचारण, श्रीमती कंचन चौकसे जे.एम.एफ.सी. सुसनेर के द्वारा किया जावेगा तथा उनके क्षेत्राधिकार मे दर्शाये गये उपरोक्त मामलों जैसे धारा 125 द.प्र.सं. के पूर्व मे किये गये किसी आदेश के पालन अथवा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधि. के अंतर्गत पारित किसी आदेश के पालन से संबंधित आवेदन भी श्रीमती कंचन चौकसे जे.एम.एफ.सी. सुसनेर के न्यायालय में प्रस्तुत होगें, चाहे उनका निराकरण किसी अन्य आगर या सुसनेर के मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया हो।

उक्त आदेश दिनांक 28.07.2023 से प्रभावशील होगा।

27.7.23

(आशीष परसाई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शाजापुर

नोट–

1– आगर मुख्यालय में इस प्रकृति के प्रकरण आज दिनांक तक जो पेश हो चुके है वे उसी न्यायालय द्वारा विचारण किये जावेगें, जिसमें वर्तमान में लंबित है और इसके अतिरिक्त लंबित रिमांड पत्रावली तथा कमिटल प्रकरणों का निराकरण भी उसी न्यायालय द्वारा किया जावेगा, जिसमें वे वर्तमान में लंबित है।

2– थाना सुसनेर, सोयत या महिला डेक्स सुसनेर से संबंधित उक्त प्रकृति का कोई मामला यदि आगर–मालवा में किसी मजिस्ट्रेट के यहॉ लंबित है अथवा कोई पत्रावली या रिमांड लंबित है, तो वे तत्काल बिना किसी प्रथक अंतरण आदेश के श्रीमती कंचन चौकसे के न्यायालय में विचारण के लिये अविलंब भेजेगें।

3– यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि आगर मुख्यालय में धारा 125 द.प्र.सं. के अंतर्गत धारा 125 (3) की कार्यवाहीयॉ भी सम्मिलित है और जिस मजिस्ट्रेट द्वारा मूल आवेदन का निराकरण किया गया है, वही मजिस्ट्रेट उससे संबंधित 125 (3) द.प्र.सं. व घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण आदेश के निष्पादन/पालन से संबंधित आवेदन का निराकरण करेगें।

4– इसके अतिरिक्त डॉ. स्वाति चौहान एवं श्रीमती हर्षिता जैन के न्यायालय के अतिरिक्त शाजापुर मुख्यालय में पदस्थ किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित है तो संबंधित मजिस्ट्रेट उनकी पहचान कर यथाशीघ्र 7 दिवस मे विचारण के लिये डॉ. स्वाति चौहान शाजापुर के न्यायालय में विचारण के लिये बिना किसी पृथक अंतरण आदेश के भेज कर सूचि सहित सूचना इस न्यायालय में प्रेषित करें।

5– इसी प्रकार श्रीमती सोनाली शर्मा शुजालपुर के न्यायालय के अतिरिक्त शुजालपुर मुख्यालय में पदस्थ किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित है तो संबंधित मजिस्ट्रेट उनकी पहचान कर यथाशीघ्र 7 दिवस मे विचारण के लिये श्रीमती सोनाली शर्मा, शुजालपुर के न्यायालय में विचारण के लिये बिना किसी पृथक अंतरण आदेश के भेज कर सूचि सहित सूचना इस न्यायालय में प्रेषित करें।

उक्त आदेश भी दिनांक 28.07.2023 से प्रभावशील माना जावेगा।

27.7.23

(आशीष परसाई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शाजापुर

पृ0क्रमांक– /2023 शाजापुर, दिनांक–27.07.2023

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शाजापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ..... जे.एम.एफ.सी. शाजापुर/शुजालपुर/आगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

27.7.23

(आशीष परसाई)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शाजापुर